फर्द अहकाम

रामप्रसाद बनाम हरिराम

य : सहायक कलक्टर, बस्सी

प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 87/2022

कि आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
7.05.2024	पत्रावली वास्ते मशेश पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादी सं. ② द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना पत्रों पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। प्रतिवादी सं. ② हजारी ने प्रार्थना पत्र बाबत आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 05.02.2024 का पेश कर कथन किया कि कुर्रेजात प्रस्ताव में प्रार्थी को दी जाने वाली भूमि को खसरा न. 19/3 रकबा 0.6323 हैक्ट. से दर्शाया गया है जबकि प्रार्थी के पुख्ता मकानात व निजी बोरिंग खसरा न. 19/1 में ही स्थित है जो कि कृष्ण कुमार पुत्र हरिराम, पार्वती, पिंकी, सुनीता पुत्री हरिराम को देना बताया है। प्रतिवादी गुलाब देवी व मानगी देवी जिन्होने दौराने दावा भूमि क्रय की है तथा अजनबी क्रेता है जिन्हे दी गई भूमि खसरा न. 17, 19/4/2, 19/7, 21, 19/9/3, 23/1, 23/5, 23 मि. सम्पूर्ण भूमि रिकार्डेड रास्ते खसरा न. 20 से लगती हुई दी गई है प्रार्थी मूल खातेदारान को रास्ते से लगती कोई भूमि नहीं दी गई है प्रस्तावित कुर्रेजात भूमि में नया रास्ता कायम कर उन्हे दोनों तरफ से रास्ता उपलब्ध कराकर वादग्रस्त	

फर्द अहकाम

रामप्रसाद बनाम हरिराम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्ती

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 87/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		भूमि के रकबे को कम कर दिया एवं पूर्व डिक्री के आधार पर खोले गये नामान्तरण सं. 693 को शून्य घोषित नही होना मानकर वर्तमान रिकार्ड मे दर्ज बटा नम्बरो के अनुसार जो कुर्रैजात रिपोर्ट बनाई गई है वह सराजर अवैध एवं विधि विरुद्ध है। एवं तहसीलदार न तो मौके पर स्वयं गये न ही उनके द्वारा स्वयं रिपोर्ट तैयार की मौके पर पटवारी हल्का व गिरदावर गये जिन्होने भी मौके पर कोई रिपोर्ट तैयार नही की बाद मे उन्होने क्रेतागण व अन्य सहखातेदारो से मिलीभगत कर रिपोर्ट तैयार की है जिस पर तहसीलदार महोदय के महज काउन्टर हस्ताक्षर किये है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांक 05/02/2024 निरस्त फरमायी जाकर पुनः कुर्रैजात रिपोर्ट मंगवाये जाने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया।
		उक्त आपत्ति का प्रतिवादी सं. 1/2 एवं 3/1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि आपत्तिकर्ता हमारी के मकानात व बोरिंग व भूमि कब्जा ख.न. 19/3 रकबा 0.6323 हैक्टे के रूप मे स्थित है तहसीलदार ने आपत्तिकर्ता को उसके कब्जे काश्त मकानात व बोरिंग को ध्यान मे रखते हुऐ बाद जांच भूमि दी गई एवं आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध

[signature]

फर्द अहकाम

रामप्रसाद बनाम हरिराम

…नय : सहायक कलक्टर, बस्सी

प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 87/2022

…क आज्ञा …कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण

करामा गया है जो पूर्णतया सही एवं विधि
सम्मत है पूर्व के कुर्रेजात मे जो भूमि
आपत्तिकर्ता हजारी को दी गई थी वह भी
बिलकुल सही दी गई थी बार बार आपत्ति-
कर्ता के कह देने से की उनके मकानात
बोरिंग अन्य खसरा नम्बर मे है जबरन
शिफ्ट नही किये जा सकते पूर्व मे भी
आपत्तिकर्ता ने यही आपत्ति की थी, नये
कुर्रेजात रिपोर्ट मे भी आपत्तिकर्ता के मकानात
बोरिंग खसरा न. 1913 मे ही पाये गये है
पूर्व के कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करते समय
पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार दूसरे थे
अब नयी कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करते समय
पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार दूसरे है।
तहसीलदार टूंगा द्वारा न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक
डिक्री की अक्षरशः पालना करते हुऐ पुन: नये
सिरे से कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की है एवं
प्रतिवादी गुलाब देवी व नानगी देवी वादग्रस्त
भूमि की सहकाश्तकार एवं उनको भी उतना ही
अधिकार प्राप्त है जितना की एक अन्य सह-
काश्तकार आपत्तिकर्ता को प्राप्त है एवं मौके
पर तहसीलदार टूंगा स्वयं गये एवं तहसीलदार
टूंगा द्वारा पक्षकारों की उपस्थिति मे सभी
पक्षो के कब्जे पुख्ता निर्माण बोरिंग व
आने जाने के रास्ते आदि को ध्यान मे रखते
हुए कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाई है एवं नियम
18 से 21 की पालना करते हुऐ कुर्रेजात रिपोर्ट
भिजवाई है जो पूर्णतया विधि सम्मत है अतः

फर्द अहकाम

रामप्रसाद बनाम हरिराम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 87/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		आपत्ति का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी हजारी की आपत्ति खारिज कर प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।
		तहसीलदार तूंगा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वादी रामप्रसाद की ओर से आपत्ति कुर्रेजात प्रार्थना पत्र पेश हुआ वादी ने प्राप्त कुर्रेजात पर आपत्ति कर कथन किया कि उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट 'डिवीजन आफ होल्डिंग रूल्स' 18 सैश राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाकर पेश नहीं की गयी है एवं वादी/प्रार्थी के भूमिवादग्रस्त ख.नं. 19 मे बने तन्हा बोरिंग एवं कब्जे काश्त को ध्यान मे रखकर कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार तूंगा व पटवारी हल्का देवगांव द्वारा तैयार कर पेश नहीं की गयी है एवं अजनबी क्रेतागण गुलाब देवी पत्नि सीताराम, नानगी पत्नी लालचन्द से मिलीभगत कर तैयार कर पेश की गयी है एवं कुर्रेजात रिपोर्ट वादी के सामने तैयार नही की गई है। अतः कुर्रेजात निरस्त फरमाया जाकर सभी सह खातेदारो की उपस्थिति मे पुन विधि सम्मत कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने के आदेश प्रदान किया जावें।
	(हस्ताक्षर)	उक्त आपत्ति का प्रतिवादी से. 1/2 व 3/1 व प्रतिवादी से. ④ ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि तहसीलदार तूंगा द्वारा

फर्द अहकाम

रामप्रसाद बनाम हरिराम

(ग्राम) न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

(रा)जस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 87/2022

(क्र)म (सं)ख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		दोनो पक्षों की उपस्थिति में प्रारम्भिक डिक्री व बंटवारे के नियम 18 से 21 की अक्षरश: पालना करते हुऐ पालना कर कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की है कुर्रेजात रिपोर्ट बाई मीटस एण्ड बाउन्डस के आधार पर आने जाने के रास्ते व पुख्ता निर्माण आदि का ध्यान मे रखते हुए तैयार की गई है उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार टूंगा द्वारा स्वयं मौके पर जाकर पटवारी हल्का व गिरदावर के सहयोग से तैयार की गई है एवं वादी बंटवारा नही कराना चाहता है बल्कि उलझाए रखना चाहता है एवं मिन उत्तरदाता के खातेदारी व संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहे है वादी को जो हिस्सा दिया गया है मे ही वादी के मकानात खाम बाडे व बोरिंग स्थित है वादी की आपत्ति मात्र प्रकरण को देरिना करने की गरज से पेश की है अत: वादी रामप्रसाद द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज फरमायी जाकर प्राप्त कुर्रेजात के अनुसार अंतिम डिक्री के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। आपत्ति कुर्रेजात प्रार्थना पत्रो पर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा बहस की गई। हमने उभयपक्ष की प्रार्थना पत्रो पर गहन ध्यानपूर्वक बहस सुनी। [illegible] पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पर की गई बहस पर मनन करने एवं तहसीलदार टूंगा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव दिनांक 05/02/2024	

फर्द अहकाम

रामप्रसाद बनाम हरिराम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 87/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		का अवलोकन करने के उपरान्त हम पाते है कि विभाजन प्रस्ताव की मौका रिपोर्ट के अनुसार पक्षकारान मौके पर उपस्थित थे एवं विभाजन प्रस्ताव मे पक्षकारो को आने जाने के रास्ते का ध्यान रखा गया है एवं दोनों पक्षो की उपस्थिति मे विभाजन प्रस्ताव विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना करते हुऐ तैयार किया जाना प्रतीत होता है ऐसी स्थिति मे प्रतिवादी सं. (2) हजारी एवं वादी रामप्रसाद द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति को अस्वीकार करते हुऐ तहसीलदार तूंगा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है। अतः प्रतिवादी सं. (2) हजारी एवं वादी रामप्रसाद द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को अस्वीकार कर वादी का वादपत्र मुताबिक तहसीलदार तूंगा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 05/02/2024 का अनुमोदन किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त अराजी खसरा न. 19, 19/1, 18, 19/2, 19/3, 17, 19/4, 19/7, 21, 23/1, 23/2, 23/5, 19/5, 23/3, 19/6, 23/4, 23 कुल किता 17 कुल रकबा 7.1446 हैक्टर स्थित ग्राम देवगांव प. ह. देवगांव तह. तूंगा जि. जयपुर में से

क्रमशः

फर्द अहकाम

रामप्रसाद बनाम हरिराम

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 87/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	खसरा न. 19 रकबा 0.6955 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.6955 हैक्ट. की भूमि खातेदार सूरज देवी पत्नि स्व. रामजीलाल दिनेश कुमार पुत्र रामजीलाल गुड्डी देवी पूजा देवी पुत्रियां रामजीलाल हिस्सा सम्पूर्ण सा. देह जाति बैरवा राहिन SBI बस्सी के हिस्से में रहेगी तथा खसरा न. 19/1/1 रकबा 0.5311 हैक्ट., खसरा न. 19/3/1 रकबा 0.1012 हैक्ट कुल किता 2 कुल रकबा 0.6323 हैक्ट की भूमि खातेदार कृष्ण कुमार पुत्र हरिराम पार्वती पत्नि हरिराम पिंकी सुनीता पुत्रियां हरिराम हिस्सा सम्पूर्ण जाति बैरवा सा. देह के हिस्से मे रहेगी तथा खसरा न. 19/2 रकबा 0.1770 हैक्ट. खसरा न. 18 रकबा 0.0126 हैक्टर की कुल किता 2 कुल रकबा 0.1896 हैक्टर की भूमि खातेदार कृष्ण कुमार पुत्र हरिराम पार्वती पत्नि हरिराम पिंकी सुनीता पुत्रियां हरिराम हि. 1/3 बिना रहन हजारी पुत्र कल्याण हि. 1/3 रामप्रसाद पुत्र कल्याण हि. 1/3 जाति बैरवा सा. देह राहिन SBI बस्सी के हिस्से मे रहेगी तथा खसरा न. 19/3/2 रकबा 0.4299 हैक्ट., खसरा न. 19/1/2 रकबा 0.1012 हैक्ट., खसरा न. 23/2 रकबा 0.1012 हैक्ट कुल किता 3 कुल रकबा 0.6323 हैक्ट की भूमि खातेदार हजारी	

फर्द अहकाम

रामप्रसाद बनाम हरिराम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 87/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	कर/	पुत्र कल्याण हिस्सा सम्पूर्ण जाति बैरवा सा. देह राहिन SBI बस्सी के हिस्से मे रहेगी तथा खसरा न. 17 रकबा 0.0506 हैक्टर, खसरा न. 19/4/1 रकबा 1.8841 हैक्टर, खसरा न. 19/7 रकबा 0.8978 हैक्टर, खसरा न. 21 रकबा 0.1265 हैक्टर, खसरा न. 19/3/3 रकबा 0.1012 हैक्टर, खसरा न. 23/1 रकबा 0.0885 हैक्टर, खसरा न. 23/5 रकबा 0.2276 हैक्टर, खसरा न. 23 मिन. रकबा 0.1012 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 3.4775 हैक्टर की भूमि खातेदार गुलाब देवी पत्नी घीतरमल हि. 1/2 नानगी पत्नि लालचन्द हि. 1/2 जाति रैगर नि. रैगर मोहल्ला विधानी ग्राम जिरोता तह. सांगानेर राहिन इलाहबाद बैंक बस्सी के हिस्से मे रहेगी तथा खसरा न. 19/5 रकबा 0.1770 हैक्टर, खसरा न. 23/3 रकबा 0.0126 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.1896 हैक्टर की भूमि खातेदार कृष्ण कुमार पुत्र हरिराम पार्वती पत्नि हरिराम पिंकी सुनीता पुत्रियां हरिराम हि. 1/10 चिरंजीलाल पुत्र कल्याण हि. 1/10 राहिन SBI बस्सी रामजीलाल पुत्र कल्याण हि. 1/10 राहिन SBI बस्सी हजारी पुत्र कल्याण हि. 1/10 राहिन SBI बस्सी जाति बैरवा सा. देह गुलाब देवी पत्नि घीतरमल हि. 1/4 नानगी पत्नि लालचन्द हि. 1/4 जाति रैगर नि. 18 रैगर मोहल्ला विधानी ग्राम जिरोता तह.

फर्द अहकाम

रामप्रसाद बनाम हरिराम

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 87/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	झामानेर के भिस्सी में रहेगी तथा खसरा नं. 19/6 रकबा 0.6070 हैक्टर, खसरा नं. 23/1 रकबा 0.0885 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.6955 हैक्टर की भूमि खातेदार गिर्राजलाल पुत्र कल्याण हिस्सा सम्पूर्ण जाति बैरवा सा. देह साकिन [illegible] बस्सी के हिस्से में रहेगी तथा खसरा नं. 23 मीन रकबा 0.5311 हैक्टर, खसरा नं. 19/1/2 रकबा 0.1012 हैक्टर की कुल किता 2 कुल रकबा 0.6323 हैक्टर की भूमि खातेदार रामप्रसाद पुत्र कल्याण हिस्सा सम्पूर्ण जाति बैरवा सा. देह साकिन [illegible] बस्सी के हिस्से में रहेगी। तहसीलदार तूंगा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। डिक्री पर्चा जारी हो। इस आशय की तहरीर जारी हो। बाद अनुमोदन कुर्रेजात व नक्शे तहसीलदार तूंगा को भिजवाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। यह निर्णय आज दिनांक 07/05/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	